

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट चूरु
पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2020/00060

दायर दिनांक 07.09.2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान)

—सायल—

बनाम

छगनलाल पुत्र नारायणराम जाति रेगर उम्र 52 साल निवासी वार्ड नम्बर 32 सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरु।

—गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि० 1975

उपस्थित :-

1. अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल

निर्णय

दिनांक : 07.01.2022

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट चूरु से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल छगनलाल पुत्र नारायणराम जाति रेगर उम्र 52 साल निवासी वार्ड नम्बर 32 सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरु का रहने वाला है, जो अवैध शराब बेचने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरुद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :-

क्र.स.	मुकदमा न० एवं दिनांक	जुर्म धारा	नतीजा पुलिस	जे.एफ. नम्बर	फैसला अदालत
1	204/01.8.2018	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	चालान 01.02.2019	131/2019	सजा 01.2.2019
2	251/14.9.2018	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	चालान 14.2.2019	143/2019	सजा 14.2.2019

अतः इस्तगासा विरुद्ध छगनलाल पुत्र नारायणराम जाति रेगर उम्र 52 साल निवासी वार्ड नम्बर 32 सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरु को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत व श्री शिव सिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया। किन्तु प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया गया, इसलिए गैरसायल के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरु ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध 02 बार, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।



पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरु की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली-भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध 02 मुकदमें 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दिनांक 01.08.2018 व 14.09.2018 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल छगनलाल पुत्र नारायणराम जाति रेगर उम्र 52 साल निवासी वार्ड नम्बर 32 सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरु स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल छगनलाल पुत्र नारायणराम जाति रेगर उम्र 52 साल निवासी वार्ड नम्बर 32 सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरु को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सुजानगढ़ गैरसायल छगनलाल को थानाधिकारी पुलिस थाना छापर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना छापर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी थाना छापर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सुजानगढ़ व थानाधिकारी पुलिस थाना छापर तथा पुलिस अधीक्षक चूरु को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(लोकेश कुमार गौतम)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, चूरु
अभिलेखागार चूरु